न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 45/2018 (उदयपुर डिकी)

राजस्थान राज्य जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, सायरा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. चम्पालाल पिता भैरूलाल कलाल, निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. छगनलाल पिता भैरूलाल कलाल, निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. कान्तिलाल पिता भैरूलाल कलाल, निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. प्रकाश पिता भैरूलाल कलाल, निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिकी उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा
दिनांक 19.06.2015, प्र. सं. 45/15

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री पुरूषोत्तम पुरी अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री कुन्दनसिंह सोनी अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 4
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 5

———:::———

निर्णय दिनांक

30–04–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बोरवाडा में आराजी नंबर 764/74 रकबा 5 बीघा भूमि वादीगण के पिता को आवंटित हुई थी, जिसके हाल आराजी नंबर 4493 हैं। वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के नाम स्वीकृत हुआ है, परन्तु सेटलमेन्ट द्वारा भूमि वन विभाग के खाते दर्ज कर दी गयी, जबकि आवंटित भूमि पर कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है। अतएंव वादग्रस्त आराजी नंबर 4493 में से रकबा 5 बीघा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 19–06–2015 को राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–05–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को उप तहसीलदार सायरा द्वारा होने पर उसके द्वारा उच्चाधिकारियों से सलाह मशविरा कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। अपीलान्ट राजकीय विभाग होने, अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री कुन्दनसिंह सोनी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से

औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि उक्त आराजी नंबर 764 रकबा 375 बीघा 2 बिस्वा भूमि जो जंगलात विभाग के खाते दर्ज होकर प्राथमिक सूची का प्रकाशन दिनांक 06–02–1958 को हुआ था, जिसके पैमाईश नंबर 4493 होकर फोरेस्ट विभाग के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य व रेकार्ड के उक्त निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है। आवंटित भूमि पर रेस्पोन्डेन्टगण का कभी कब्जा नहीं रहा है तथा वक्त आवंटन भूमि बिलानाम नहीं होकर वन विभाग के नाम दर्ज थी। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट को एकतरफा सुनकर उक्त निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया तो यह पाया कि विवादित भूमि वन विभाग के खातेदारी में दर्ज है, जिस पर वादी अपना कब्जा होना बताता है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी के पिता भैरूलाल के पक्ष में आवंटन होना मानते हुए वादी का वाद स्वोकार किया है, जो उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि आवंटन के पश्चात् भैरूलाल की मृत्यु हो गयी थी, ऐसी स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इसके अलावा आवंटित भूमि को बिलानाम भूमि बताया गया है, जबकि राजस्व रेकार्ड के अनुसार भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज है। विवादित भूमि वन विभाग की भूमि होने से यदि उस पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कब्जा है भी तो वह बतौर अधिकमी है और अतिकमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2015 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

राजस्थान राज्य जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, सायरा, जिला उदयपुर	बनाम	चम्पालाल पिता भैरूलाल कलाल निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....45/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गोगुन्दा..... मुकाम.....मुवर्खे.....19.....माह.....06. 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....30....माह.....04.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री पुरूषोत्तम पुरी.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री कुन्दनसिंह सोनी

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2015 अपास्त की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....30.....माह.....04... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।